जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) की 214 वीं बैठक दिनांक 12.05.2014 को आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में ''चिन्तन'' कक्ष मे आयोजित की गई। बैठक मे एजेण्डा संख्या– 1, 2, 3, 4 व 5 वरिष्ठ नगर नियोजक एमपी/बीपीसी (एलपी– I) द्वारा एवं प्रस्तुत किये गये एजेण्डा संख्या 6 व 7 अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (बीपीसी (एलपी– II) द्वारा एवं बैठक में लिये गये निर्णयो का कार्यवाही विवरण संबंधित अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक एव वरिष्ठ नगर नियोजक एमपी/बीपीसी (एलपी– I) द्वारा तैयार किये गये है, जिसका कार्यवाही विवरण निम्नानुसार हैः–

बैठक मे समिति के निम्न सदस्यो ने भाग लियाः–

1. श्री पवन अरोडा, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
2. श्रीमती लवंग शर्मा, निदेशक (आयोजना) जविप्रा, जयपुर।
3. श्री नीरज तिवाडी, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक बीपीसी (एलपी– II) जविप्रा, जयपुर।

बैठक मे निम्न अधिकारी उपस्थित हुएः–

1. श्रीमती आशा अवस्थी, वरिष्ठ नगर नियोजक, (एमपी), जविप्रा, जयपुर।
2. श्रीमती विनीता सिंह, उपायुक्त जोन–8, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री भागीरथ हावा, उपायुक्त जोन–9, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री राजकुमार सिंह, उपायुक्त जोन–11, जविप्रा, जयपुर।
5. श्रीमती ऊषा जैन, सहायक निदेशक (जनसम्पर्क अधिकारी), जविप्रा, जयपुर।
6. श्री मृणाल जोशी, उप नगर नियोजक, बीपीसी (एलपी), जविप्रा, जयपुर।
7. श्री ललित भण्डारी, सहायक नगर नियोजक जोन–4, जविप्रा, जयपुर।
8. श्रीमती नेहा खण्डेलवाल, सहायक नगर नियोजक, मा.प्लान, जविप्रा, जयपुर।
9. सुश्री अमिता सिंह, जोन–8, जविप्रा, जयपुर।
10. सुश्री संगीता, सहायक नगर नियोजक जोन–11, जविप्रा, जयपुर।

एजेण्डा विवरणः–

एजेण्डा

214/12.05.2014

विषय :– बीपीसी (एलपी) की बैठक कमांक 213 वीं बैठक दिनांक 16.04.2014 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवाही विवरण अनुमोदन हेतु प्रक्रियाधीन।

बीपीसी (एलपी) की 213 वीं बैठक कार्यवाही विवरण क्रमांकः जविप्रा/सदस्य सचिव बीपीसी (एल.पी.) /बीपीसी/2014/डी–.230 दिनांक 01.05.2014 को जारी किये जा चुके हैं। समिति द्वारा कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

एजेण्डा–1

214 / 12.05.2014 (मास्टर प्लान)

विषय :– ड्राफ्ट अनुमोदित / अनुमोदित सेक्टर प्लानों में सड़क के सहारे–सहारे दोनों ओर व्यावसायिक भू–पट्टी दर्शाने बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि एजेण्ड़ा प्रस्ताव में उल्लेखित सभी ड्राफ्ट अनुमोदित / अनुमोदित सेक्टर प्लानों में 80 फिट व अधिक चौड़ी सडकों के सहारे–सहारे दोनों ओर व्यावसायिक भू–पट्टी दर्शाने बाबत् 30 दिवस की समयावधि में आम जनता से आपत्ति / सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु दो मुख्य समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी की जावें।

एजेण्डा–2

214 / 12.05.2014 (मास्टर प्लान)

विषय :– प्रारूप रोड़ सेक्टर प्लान–74 के अनुमोदन बाबत।

प्रारूप रोड़ सेक्टर प्लान–74 के एजेण्डें पर विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा इसका अनुमोदन कर आम जनता से 30 दिवस की अवधि में आपत्ति / सुझाव प्राप्त करने हेतु विज्ञप्ति जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा–3

214 / 12.05.2014 (जोन–11)

विषय :– ड्राफ्ट सेक्टर प्लान 81 की 30 मीटर सेक्टर रोड़ के एलाईमेंट में परिवर्तन करने बाबत्।

जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया गया। प्रकरण में सेक्टर रोड़ का एलाईमेंट परिवर्तन करने पर अन्य खातेदारों की भूमि प्रभावित होती हैं। अतः सेक्टर रोड़ के एलाईमेंट परिवर्तन नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा–4

214 / 12.05.2014 (जोन–4)

विषय :– श्री छत्रपति शिवाजी गृ.नि.स. समिति की योजना मॉडल टाउन–ए की 1 से 19 दुकानें जिनको बीपीसी की बैठक दिनांक 05.10.09 में 200′ सेक्टर रोड़ से प्रभावित होने के कारण गैर अनुमोदित की गई हैं, को संशोधित किये जाने के संबंध में। (क्योंकि उक्त दुकानें 200′ सेक्टर रोड से प्रभावित नहीं हैं।)

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि जोन अपने स्तर पर मौका जॉच कर सुनिश्चित करें कि दुकानों की भूमि 200′ सेक्टर रोड से प्रभावित हैं अथवा नहीं। उक्तानुसार जोन अपने स्तर पर निर्णय लेकर अग्रिम कार्यवाही करें।

एजेण्डा–5

214 / 12.05.2014 (मास्टर प्लान)

विषय :– प्रारूप रोड़ सेक्टर प्लान–71 के अनुमोदन बाबत।

प्रारूप रोड़ सेक्टर प्लान–71 में समिति के विचार विमर्श पश्चात् एजेण्डा के बिन्दु संख्या 3 (i) से 3 (ix) के प्रस्तावों को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया।

1. उक्त संशोधन सेक्टर 54 व 55 में भी किये जाने का निर्णय लिया गया।
2. सेक्टर प्लान में मुख्यतः प्रस्ताव मास्टर विकास योजना–2025 की प्रस्तावित सड़कों की चौडाई कम किये जाने, एलाईमेंट परिवर्तन एवं विलोपन किए जाने के संबंध में हैं। अतः उक्त सभी प्रस्तावों को प्राधिकरण की बैठक से अनुमोदन की अभिशंषा में अनुमोदन किया गया हैं। यदि उक्त सडको के अलाईमेंट परिवर्तन के कारण रोड के सहारे–सहारे भू–उपयोग शिफ्ट / संशोधित होता है तो उक्त का परीक्षण कर प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदन करवाया जावें।

प्रस्तुत एजेण्डा की उक्त सभी बिन्दुओ पर विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा इसका अनुमोदन कर आम जनता से 30 दिवस की अवधि में आपत्ति / सुझाव प्राप्त करने हेतु विज्ञप्ति जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा–6

214 / 12.05.2014 (जोन–8)

विषय :– बन्धु गृ.नि.स. समिति की योजना ''सचिवालय विहार'' स्कीम नं. 27, ग्राम कल्याणपुरा के अनुमोदन बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निम्नवत निर्णय लिये गये :–

1. बीपीसी (एल.पी.) की बैठक दिनांक 27.09.2013 द्वारा लिये गये निर्णय बिन्दु संख्या–3 के अनुसार सड़क की चौड़ाई 60 फिट ही रखी जावें।
2. योजना की भूमि के खसरों की धारा 90ए की कार्यवाही प्रभावी नियमों के प्रावधानोनुसार की जावें।
3. पृथ्वीराज नगर से संबंधित प्रकरण राज्य सरकार एवं माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है अतः निर्णयोपरान्त, प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावें।
4. सहकारी समिति द्वारा प्रस्तुत मूल योजना मानचित्र में भूखण्ड संख्या–293ए, 575, 576, 577, 578, सी–11बी व 582 के सृजन के संबंध में सहकारिता प्रकोष्ठ से नियमो के परिपेक्ष में राय ली जाकर जोन स्तर से नियमन की कार्यवाही नियमानुसार कर दी जावें।

एजेण्डा–7

214 / 12.05.2014 (जोन–11)

विषय :– जविप्रा की फार्म हाउस योजना के संदर्भ में सेक्टर प्लान 51, 52, 53 में 30 मीटर व 24 मीटर रोड़ में संशोधन करवाने बाबत।

प्रकरण उपायुक्त जोन द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विर्मश कर निर्णय लिया गया कि 30 मीटर चौड़ी सैक्टर सड़क को फार्म हाउस संख्या ई–22 तक एवम् 24 मीटर चौड़ी सैक्टर सड़क को गैस पाईप लाईन तक ही रखा जावें ताकि नीलामी में

विक्रय किये गये भूखण्ड प्रभावित न होवें। सैक्टर प्लान में उपरोक्तानुसार संशोधन कर जारी कर दिया जावें।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

For अति. मुख्य नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान)
जविप्रा, जयपुर।

क्रमांकः जविप्रा/मा. प्लान/बीपीसी (एलपी)/2014/डी– 277
दिनांकः 16/5/14

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव जविप्रा, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक (नगर आयेाजना), जविप्रा, जयपुर।
4. अति. आयुक्त (पूर्व)/पश्चिम/एलपीसी/भूमि, जविप्रा, जयपुर।
5. उपायुक्त, जोन–...............................जविप्रा, जयपुर।
6. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।
7. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
8. उप रजिस्ट्रार (सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

For अति. मुख्य नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान)
जविप्रा, जयपुर।